न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 109 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 181

प्रार्थीगण

1.गंगाराम पुत्र भैराराम
2.नोजीदेवी पत्नी भैराराम
जाति जाट निवासी मूंगडा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.चैनाराम पुत्र चूतराराम
2.भैराराम पुत्र चूतराराम
जाति जाट निवासी मूंगडा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
3.मूलतानाराम पुत्र वागाराम
4.हड़मानराम पुत्र वागाराम
5.चैतनराम पुत्र वागाराम
जाति नाई निवासी बिठूजा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
6.भंवराराम पुत्र सांवलाराम
जाति भील निवासी हेमपुरा (ढण्ढ)
7.चैनाराम पुत्र अलसाराम
8.केसरीदेवी पत्नी भंवराराम
जाति जाट निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
9.गोरधनराम पुत्र नेतराम
10.ओमप्रकाश पुत्र नेतराम
11.पारसमल पुत्र नेतराम
12.पारसराम पुत्र बाबूलाल
13. पुष्पादेवी पत्नी सोनाराम
जाति पालिवाल निवासी मूंगडा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
14.अलसाराम पुत्र परागाराम
15.जौराराम पुत्र परागाराम
जाति जाट निवासी जानियाना
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
16.अजयकुमार पुत्र चंपालाल
17.गजेन्द्र पुत्र चंपालाल
18.जसराज पुत्र ताराचंद

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

19.भरतकुमार पुत्र चंपालाल

20.मगराज पुत्र ताराचंद

21.मनोहरलाल पुत्र चम्पालाल

22लूणाराम पुत्र ताराचंद

23.वासुदेव पुत्र ताराचंद

24.चम्पालाल पुत्र गुणेश

25.टीकमाराम पुत्र गुणेश

26.पुखराज पुत्र गुणेश

27.भंवरलाल पुत्र छगनजी

जाति पालीवाल निवासी मूंगडा

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

28.अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा

29.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 15
3. विप्रार्थी संख्या 1 से 14 व 16 से 31 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 23.12.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 931,933,938 कुल क्षेत्रफल 14.2125 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1690/940 क्षेत्रफल 1.4811 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 931,933,938 कुल

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

क्षेत्रफल 14.2125 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1690/940 क्षेत्रफल 1.4811 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 9 व 24 की ओर से जवाब पेश किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 14 व 16 से 31 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 15 के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 931,933,938 कुल क्षेत्रफल 14.2125 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1690/940 क्षेत्रफल 1.4811 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 931,933,938 कुल क्षेत्रफल 14.2125 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1690/940 क्षेत्रफल 1.4811 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 15 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे दखलदान्जी नही की गई है तथा न ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की माढ को लेकर विवाद किया गया है। अंत प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 931,933,938 कुल क्षेत्रफल 14.2125 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1690/940 क्षेत्रफल 1.4811 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 15.3.2024 में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं। प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मूंगडा पटवार हल्का मूंगडा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 931,933,938 कुल क्षेत्रफल 14.2125 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1690/940 क्षेत्रफल 1.4811 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 23.12.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

23/12/2024

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा